दिया कुमारी ने विद्याधर नगर लोहामण्डी में उच्च जलाशय का शिलान्यास किया

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा के लोहा मण्डी में 8 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले उच्च जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

■ विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नम्बर 3 पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत विद्याधर नगर विधानसभा के लोहा मण्डी में 8 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले उच्च जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 80 लाख 75 हजार की निर्माण लागत के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं.15 में वॉलीबॉल कोर्ट का शिलान्यास व विभिन्न लोकापर्ण शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा इस 17 लाख 50 हजार लीटर क्षमता वाली टंकी के निर्माण के बाद आने वाले समय में क्षेत्र के वार्ड नम्बर 2 के सुभाष नगर, बालाजी विहार, गणेश नगर, अरावली विहार, भगवान नगर, विलोची नगर, अमन एन्क्लेव और आस-पास के क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का समाधान होगा।

दिया कुमारी ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं. 15 में देवधारा कॉलोनी में 21 लाख की लागत का सी.सी. सडक कार्य, शंकर विहार व विकास नगर में 36 लाख की लागत का सी. सी. सड़क कार्य, देव नगर में 19 लाख की लागत का सी.सी. सड़क निर्माण कार्य, रामेश्वर धाम में 30 लाख 75 हजार की लागत का सी. सी. सड़क एवं ब्लॉक टाईल्स कार्य, आर्य नगर विस्तार एवं बालाजी विहार में 18 लाख की लागत का ब्लॉक टाईल्स कार्य, गंगा जमुना विहार एवं शिवपुरी में 16 लाख की लागत का ब्लॉक टाईल्स कार्य, विकास नगर विस्तार में 20 लाख की लागत का डामर सड़क निर्माण कार्य सहित कुल 1 करोड़ 60 लाख 75 हजार के कार्यों के लोकार्पण किये। इसी प्रकार उन्होंने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं. 15 में दादी का फाटक आर.ओ.बी. के नीचे 20 लाख की लागत से वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

वहीं दूसरी ओर दिया कुमारी ने विधाधर विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथ कुंज कॉलोनी, अनोखा गांव, हरमाड़ा में वार्ड संख्या 3 के पार्षद हरिशंकर बोहरा के नवनिर्मित पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण और क्षेत्र के विकास में पार्षद कार्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है जहां आमजन स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को लेकर जाता है। ऐसे में यह पार्षद कार्यालय क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, पार्षद हरिशंकर बोहरा, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, वार्ड 103 पार्षद महेंद्र शर्मा, सुनीता राठौड़, सुरेश जांगिड़, सुनील करोड़िया, विजय शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता और वार्डवासी उपस्थित रहें।

'मतदान बहुत बड़ी ताकत'

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शामिल हुए।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मतदान में इतनी ताकत है कि इससे छोटे को बड़ा किया जा सकता है और बहुत बड़े को भी छोटा किया जा सकता है। उन्होंने बगैर लालच के निर्भीक होकर मतदान में सभी को भाग लेने का आव्हान किया।

बागडे शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी को निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय मूल की संस्कृति, आचार पद्धित विश्व भर में प्रेरणा देने वाली रही है। इस संस्कृति के कारण ही लोकशाही हमारे यहां आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि आजादी मिलने पर चर्चिल ने कहा था कि भारत अज्ञानी देश है, यहां लोकतंत्र पनप नहीं सकेगा। पर यह हमारी मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कृति ही है, जिससे भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। उन्होंने नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और मतदान में भागीदार बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने सभी को मतदान करने, मतदान सूचियों की त्रुटियां दूर करने में सहयोग करने और एक मतदाता का दो या तीन स्थानों पर नाम होने पर स्वयं प्रेरित होकर उसे एक ही स्थान पर सूची में नाम रखने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि "मतदाता दिवस" की सार्थकता इसमें है कि सामुहिक प्रयासों से अधिकाधिक मतदान हो। मतदान से कोई वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदान के प्रति जागरूक ही नहीं करता बल्कि वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने से जुड़ा प्रेरक पर्व है। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करने का आव्हान किया। राज्यपाल ने समारोह में मतदान जागरूकता के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। आरंभ में उन्होंने मतदान जागरूकता के आलोक में निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर मतदान और लोकतंत्र से संबंधित पेंटिंग्स की सराहना की। उन्होंने नवीन युवा मतदाताओं को इस अवसर पर सम्मानित किया।

भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार का संदेश भी इस दौरान प्रसारित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। जल्द ही देश सौ करोड़ मतदाता वाला राष्ट्र हो जाएगा। यह कई देशों के संयुक्त मतदाता संख्या से भी अधिक है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मतदान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का आव्हान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदान के महत्व की चर्चा करते हुए राजस्थान में मतदान के किए किए गए नवाचारों और मतदान दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वीराज भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डा. जितेंद्र सोनी ने सभी का आभार जताया।

समारोह में आदिवासी कलाकारों द्वारा "वोट तुम डारो रसिया, लोकतंत्र की सुनो पुकार मत खोना अपना अधिकार" पर नृत्य और संगीत प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे शिरकत

जयपुर। मुख्यमंत्री उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रातः 9.30 बजे शामिल होंगे। इससे पहले वे प्रातः 9 बजे उदयपुर में शहीद स्मारक (नगर निगम) पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

जितेन्द्र कुमार सोनी को जयपुर संभागीय आयुक्त का अति.प्रभार

जयपुर। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर दो कलेक्टरों को संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

आदेशानुसार जयपुर कलेक्टर जितेन्द्र डॉ.कुमार सोनी को जयपुर संभाग का और भरतपुर कलेक्टर डॉ. अमित यादव को भरतपुर संभाग का संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

प्रबोधकों के नियम विरुद्ध किए तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार जैन व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबोधक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के तहत हुई थी। ऐसे में उनका ट्रांसफर समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है। वहीं ट्रांसफर से पहले जिला परिषद की जिला स्थापना समिति से अनुमोदन लेना भी जरूरी है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सेवा नियमों का पालन किए बिना ही उनका ट्रांसफर किया है और जिला स्थापना समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया। यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की भी अवहेलना है। इसलिए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

गणतन्त्र दिवस पर देवनानी की शुभकामनाएं

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 76वें गणतन्त्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। देवनानी ने कहा है कि गणतन्त्र दिवस पर हम सभी को राष्ट्रके विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा।

देवनानी ने कहा है कि भारत की आत्मा भारतीय संविधान है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और जागरूकता बढाने के लिए राजस्थान विधान सभा में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं को भारत और भारत की सांस्कृतिक नैतिकता से परिचित कराना है।

डिफेक्टिव स्लीपर बेचने पर वुडलैंड पर 45 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक को डिफेक्टिव स्लीपर बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं विक्रेता एरो क्लब यानि वुडलैंड इंडिया पर 45 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही परिवादिया से स्लीपर की कीमत के तौर पर वसूली गई 1836 रुपए की राशि भी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश सुनीता कुमावत के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी के यहां से स्लीपर की एक जोडी खरीदी थी। इसके एक महीने बाद ही स्लीपर में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। स्लीपर का कलर उतर गया और वह जगह-जगह से फट गया। वह किसी भी तरह से पहनने लायक नहीं रही। इस पर उसने विपक्षी से संपर्क कर बताया कि उन्होंने इस पर 90 दिन की गारंटी दी थी लेकिन यह एक महीने में ही खराब हो गई है। जिस पर उसे नवंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में आने के लिए कहा। वह वापस गई तो विपक्षी टालमटोल करने लगा। ऐसे में उसकी स्लीपर ना तो बदली और ना ही उसकी कीमत ही वापस की।

कांग्रेस ने एक परिवार को खुश करने के लिए तो भाजपा ने जनहित में किए संविधान संशोधन : मदन राठौड़

भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी का प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उद्घाटन किया।

■ 'भाजपा ने अखंड भारत और जनमत के सम्मान में किए संविधान संशोधन, कश्मीर से हटाई धारा 370, तीन तलाक को किया समाप्त'

जयपुर। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक ओर भाजपा है जिसने सदैव जनमत का सम्मान और लोकतंत्र का आदर किया। भाजपा ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इतना ही नहीं, भाजपा ने संशोधन किया तो सीएए कानून पारित किया, भाजपा ने संविधान संशोधन किया तो हमारी बहनों को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए किया। जबकि कांग्रेस ने सर्वाधिक 75 बार संविधान में संशोधन करके केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया तथा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया।

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश करने के साथ ही संविधान को प्रणाम किया। संविधान का सम्मान और संविधान निर्माताओं का सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भाजपा सर्वे भवंतु सुखिने की भावना के साथ काम करती है, जबकि कांग्रेस एक परिवार को खुश करने की नीति पर कार्य करती है। कांग्रेस दबाव डालकर, अफवाह फैलाकर भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। ऐसे में संविधान और बाबा साहब के लिए भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को हमें जनता तक पहुंचाना है। जनता को जागरूक करना है कि कांग्रेस ने सदैव संविधान और बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस तो आरक्षण तक के विरोध में है। जबकि भाजपा ने पंचायती राज और नगरीय निकायों में एसटी-एससी वर्ग को आरक्षण देने का कार्य किया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को कांग्रेसियों ने देश के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केवल वोट बैंक और एक वर्ग के समर्थन के लिए मिथ्या भ्रम फैलाने की राजनीतिक प्रयास किया। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 1971 में मौलिक अधिकारों के साथ छेडछाड़ करने का प्रयास किया। हमारे देश की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्ला देश से आने वाले घुसपैठियों को शरण देने जैसे बयान के बाद भी उस निर्वाचित सरकार को बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करती है।

संगोष्ठी में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि संविधान निर्माता सदस्यों में हमारी 15 बहनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, हमारे राजस्थान से भी 12 गणमान्य लोगों ने संविधान निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में हम उन सभी लोगों के आभारी है जिसने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माण किया। संविधान गौरव अभियान के प्रदेश संयोजक एवं धोद विधायक गोरधन वर्मा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि कांग्रेस मिथ्या नेरेटिव सेट करने का कार्य करती है। इस मिथ्या नेरेटिव को दूर करने के लिए भाजपा की ओर से संविधान गौरव अभियान चलाया गया। कांग्रेस ने एसटी-एससी वर्ग को भाजपा से दूर करने का प्रयास किया लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है जिसमें इस वर्ग से सर्वाधिक विधायक, सांसद, मंत्री बनाए है। कार्यक्रम में मंच पर विधायक कैलाश वर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी, चंद्रमोहन बटवाडा, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, उप महापौर पुनित कर्नावट, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, तेज सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और मंच संचालन भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया।

महिलाओं की अश्लील फोटो खींच रहे थे 3 बदमाश

जयपुर । उप जिला अस्पताल में तीन बदमाशों द्वारा महिलाओं के अश्लील फोटो खींचने का मामला सामने आया है। इस मामले में उप जिला अस्पताल प्रशासन ने चौमूं थाने में मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार कुसलपुरा सामोद निवासी गोकुल चंद मीणा ने मामला दर्ज करवाया कि वह उप जिला अस्पताल चौमूं में सुरक्षा गार्ड है। यहां पर के एल सैनी और उसके दो साथी महिलाओं की फोटो खींच रहे थे। इस दौरान महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही थी इसके अलावा बदमाश महिलाओं के इंजेक्शन लगाते समय की तस्वीर उतार रहे थे। जब इस मामले में महिला नर्सिंग कर्मियों ने आरोपियों को ऐसा करने से टोका तो वे अभद्रता पर उतार आए और उनके साथ धक्का-मुक्की की।

जयपुर पुलिस ने अलसुबह छापेमारी कर 200 हार्डकोर बदमाश दबोचे

जयपुर । जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार अल सुबह अभियान चलाकर दक्षिण जिले के अलावा सभी थाना क्षेत्रों के लगभग 200 हार्डकोर और संदिग्ध बदमाशों को हिरासत लिया, अब इनसे पूछताछ की जा रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास-अपराधियों में भय की भावना जनता में साकार हो एवं उन्हें त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए जयपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इस अभियान तहत सक्रिय अपराधियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया एवं उनके खिलाफ विधि एवं न्याय अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिला पूर्व के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में 170 बीएनएस में एनडीपीएस एक्ट, एमवी एक्ट, में लगभग 100 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक वाहन चोर का मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि पश्चिम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अल सुबह दबिश देकर 170 बीएनएस, एनडीपीएस एक्ट, 207 एमवी एक्ट में लगभग 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त उत्तर राशि डूडी डोगरा ने बताया कि उत्तर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है। अभियान तहत सक्रिय अपराधियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

नशीला पेय पदार्थ पिलाकर चोरी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीला पेय पदार्थ पिलाकर सोने का ब्रासलेट चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित राहूल सैनी निवासी करधनी ने दर्ज कराया कि 12 जनवरी को उसका बडा भाई राकेश सैनी होटल पर था। इस दौरान जानकार व्यक्ति जयकुमार सैनी उर्फ सोनू उर्फ अजय होटल पर आया। उसके बाद कुछ देर तक वहां बैठ कर बात-चीत की। तभी जय कुमार सैनी ने कहा कि उसे आपसे कोई बात करने के लिये दूसरे कमरे में ले गया। वहा पर जय कुमार सैनी ने उसके भाई को कुछ पेय पिलाया या कोई बेहोशी की दवाई सुंगाई। उसके बाद उसका भाई बेहोश हो गया। अगले दिन होश आया तब उसने खुद को संभाला तो पता चला की आरोपी जय कुमार सैनी ने उसके भाई के हाथ में पहना हुआ सोने का ब्रासलेट व एक सोने की अंगुठी जिनकी कीमत करीब 6 लाख रूपये से अधिक है तथा करीब 25 हजार रूपये नहीं है।

रिटायर नायब तहसीलदारों से वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर नायब तहसीलदारों व गिरदावरों के खिलाफ निकाली गई राशि की वसूली पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रमुख राजस्व सचिव, पेंशन निदेशक सहित तहसीलदार सपोटरा से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश नूरुद्दीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले की सपोटरा तहसील में गिरदावर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें बाद में कार्य व्यवस्था के तौर पर नायब तहसीलदार पद की जिम्मेदारी दी। वे अपना कार्य नियमित तौर पर करते रहे। इस दौरान दो से चार साल पहले वे अपने पदों से रिटायर हो गए। वहीं तहसीलदार सपोटरा ने नवंबर 2024 में उन्हें बिना कोई नोटिस व सुनवाई का मौका दिए उनके सेवाकाल में रहने के दौरान के यात्रा भत्ता बिलों को अनियमित भुगतान माना।

वहीं उन्हें इस राशि की वसूली का आदेश जारी कर दिया। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वसूली आदेश से पहले उनसे ना तो कोई स्पष्टीकरण मांगा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि यह राशि कौन से समय की है। वहीं राज्य सरकार ने समय-समय पर परिपत्र जारी कर रखे हैं कि रिटायर कर्मचारियों से तीन साल पहले के मामलों में कोई जांच कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए उनसे होने वाली राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र 31 जनवरी तक करें 'गिव अप'

नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार

■ अब तक जयपुर में 15 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने सूची से नाम हटवाये

■ जिले की उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त किये जा सकते हैं नाम हटवाने के आवेदन पत्र

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसम्बर, 2024 से 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए जयपुर ग्रामीण और शहर की सभी उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आयकरदाता, सरकार कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायतशासी संस्था में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रेंक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जोविकोपार्जन में प्रयोग आते है, को छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अथवा निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

उन्होंने बताया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी तक जयपुर शहर एवं ग्रामीण में 'गिव अप' अभियान में 15 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये गये हैं। सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में शामिल होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी के पश्चात खाद्य सुरक्षा सूची में पाये जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध वसूली, शास्ति आरोपित की जावेगी। इस पेनल्टी की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, के अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जायेगी।